भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु. 10

Rs. 10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36[illegible] 941761

यह जनरल स्टाम्प पेपर कान्ती सेवा संस्थान

जिला लखनऊ फोईल नं० [illegible]

के स्मृतिपत्र के साथ संलग्न है।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

86AC 941662

यह जनरल स्टाम्प पेपर क्रान्ति सेवा संस्थान

जिला [illegible] फाईल नं० 1525/86

के नियमावली के साथ संलग्न है।

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज़ एवं चिट्स, [illegible] लखनऊ (उ०प्र०)

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज़ एवं चिट्स

[illegible] लखनऊ

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : कान्ती सेवा संस्थान
2. संस्था का पता : म0नं0347,अभिलाषा एल्डिको II
   रायबरेली रोड,लखनऊ
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उ0प्र0
4. संस्था के उद्देश्य :
   1. जनसाधारण का सामाजिक ,मानसिक,नैतिक,चारित्रिक व शैक्षिक,बौद्धिक आध्यात्मिक विकास करना।
   2. शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों/बालिका विद्यालयों/विकलांग विद्यालयों/अल्पसंख्यक विद्यालयों/कालेजों की स्थापना व संचालन करना जिनमें प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा व्यवस्था करना।
   3. समाज के निर्बल वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार करना तथा उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करना।
   4. ज्ञानवर्धन हितार्थ निःशुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना ।
   5. समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम,विचार गोष्ठी,सेमिनार सम्मेलन,खेलकूद प्रतियोगिता,वाद विवाद प्रतियोगिता,जागरुकता शिविर स्वास्थ्य शिविर,सामाजिक जागरुकता प्रदर्शनी एवं पल्स पोलियो प्रतिरक्षण शिविरों आदि का आयोजन व संचालन करना ।
   6. महिलाओं/बालिकाओं/युवाओ का सिलाई, कढाई, बुनाई, शिल्पकला, ललितकला,संगीत,गायन,वादन,नाटक कवि गोष्ठियों तथासांस्कृतिक के विकास ,फैशन शो,फैशन डिजाइनिंग,चिकन,जरी,डाल मेकिंग,फ्लावर मेकिंग,फल प्रसंस्करण आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।
   7. समाज के मूक,बधिरों,विकलांगों,नेत्रहीनों,विधवाओं,वृद्धो ,निराश्रितो बेरोजगारों, अनुसूचितजातियों,अनुसूचितजनजातियों,अल्पसंख्यकों,दलितों,पिछडी जातियों, एवं शोषित वर्ग के लोगों के उत्थान एंव कल्याण हेतु कार्य करना।
   8. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उ0प्र0खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ,जिला उद्योग केन्द्र की प्रवृत्ति एवं पैटर्न के अनुसार काष्ठ कला,लौहकला,एवं अन्य ग्रामोद्योगी इकाईयों की स्थापना ,प्रचार प्रसार व संचालन करना।
   9. मशरूम उत्पादन,कृषकों की गोष्ठियों का आयोजन,बागवानी,हार्टिकल्चर विभाग के माध्यम से नर्सरी, कृषको को नई तकनीक आदि का महिलाओं /युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।
   10. महिला समूहों/युवा समूहो की स्थापना व संचालन करना।
   11. राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सदभाव शिविरों का आयोजन करना ।
   12. समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0केन्द्रीय व राज्य समाजकल्याण सलाहकार बोर्ड कपार्टअवार्ड नाबार्डसिडवी, मानवसंसाधन मंत्रालय,यूनीसेफ,डवाकरा,सिप्सा सैफइंडियाहैल्पेजइण्डिया,राजीवफाउन्डेशन,नौराड,आक्सकेमइण्डिया,केयर,

- Bizness
Narendra
कौशल कुमार
कान्ती देवी
आनन्द कुमार
Rajesh
हृदय नरायन
देवकी देवी
अशोक यादव

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ

1

राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक,यूडा,डूडा,विश्व स्वास्थ्य संगठन,अल्पसंख्यक विभाग,उ0प्र0 एव विकलांग कल्याण निदेशालय महिलाकल्याण निगम,पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं ,विकलांग कल्याण द्वारा वित्तीय सहायता से कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार एवं संचालन करना।

13. पशुपालन तथा डेरी मिल्क इकाई विभिन्न प्रकार के ग्रामोद्योग तथा कुटीर उद्योग, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन तथा रेशम के कीट का पालन सेरीकल्चर' उद्योग का प्रशिक्षण का संचालन करना।

14. बाल श्रम उन्मूलन हेतु प्रभावकारी कार्यक्रमों का संचालन करना बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु शिक्षा प्रशिक्षण,मनोरंजन तथा पोषाहार की व्यवस्था करना तथा श्रमिकों एवं उनके बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना।

15. पर्यावरण संरक्षण,नशामुक्ति ,परिवार कल्याण,स्वास्थ्य कल्याण,टीकाकरण, वृक्षारोपण,सामाजिक वानिकी,दहेज उन्मूलन,हरियाली कार्यक्रम,प्रदूषण नियंत्रण आदि कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार व संचालन करना ।

16. प्रोढशिक्षा,अनौपचारिकशिक्षा,स्वास्थ्यशिक्षा,कम्प्यूटरशिक्षा, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक शिक्षा,कृषि शिक्षा,टाईप शार्टहैण्ड शिक्षा प्रतियोगिता शिक्षा निःशुल्क दिलाने की व्यवस्था करना तथा लोगों को कम्प्यूटरीकृत शिक्षण द्वारा प्रशिक्षित करना ।

17. जनहितार्थनिःशुल्क चिकित्सालय,अनाथालय,मूक,बधिर,विद्यालय,विकलांग, विद्यालय आवासीय विद्यालय,ब्लाइन्ड स्कूल,छात्रावास,व्यायामशाला,गौशाला, विधवा आश्रम,वृद्धा आश्रम,शिशुपालन गृह,बालबाडी,आंगनबाडी,महिलाओं एवं पुरूषों के लिए शार्टस्टे होम आदि की स्थापना व संचालन करना।

18. ग्रामीण क्षेत्र के अनु0जाति,जनजाति,पिछड़े, बेरोजगार, निर्धन तथा अशिक्षित अल्पसंख्यक लोगों के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर संचालित करना तथा उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाना।

19. ग्रामीण क्षेत्रों में सहभागिता के लाभ से पुरूष एवं महिलाओं को अवगत करना तथा उन्हें सहभागिता के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।

20.. जन शिक्षण कार्यक्रम,ऊसर बंजर भूमि सुधार कार्यक्रम एवं महिला समूहों का गठन व ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

21, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा संचालित कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना ।

22. एड्स,कैन्सर,टी0बी0,हेपेटाइटिस,मधुमेह आदि जानलेवा बीमारियों की पहचान व रोकथाम,हेतु जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना।

23.. दैवी आपदाओं जैसे बाढ,सूखा,अग्निकाण्ड,भूकम्प,ओलावृष्टि,तूफान,आदि के समय पीडितों की हर संभव सहायता करना ।

1 Biznes
2 Narendra
3 अनिल कुमार
4 कान्ती देवी
5 आनन्द कुमार
6 Rajesh
7 हृदय नरायन
8 देवकी देवी
9 अशोक यादव

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
... लखनऊ

24. ट्राइसेम योजना/एकीकृत ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत महिलाओं तथा बेरोजगारों को निःशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाकर स्वावलम्बी बनाना ।

25 ग्रामीण किसानों, महिलाओं,बेरोजगारों के सामाजिक विकास के लिए आर्थिक प्रोन्नति कार्यक्रम संचालित करना ।

26.. पंचायती राज विभागजल निधि राज्य/जिला ग्राम्य विकास अधिकरण,नारी शिक्षा कला केन्द्र,स्वजल,धारा द्वारा संचालित कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार व संचालन करना ।

27. ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों के प्रति जनसाधारण में जागृति लाना ।

28. महिला सशक्तीकरण तथा महिलाओं की प्रगति हेतु स्वयंसेवी समूह का गठन तथा सम्बन्धित निःशुल्क प्रशिक्षण देना ।

29.. कृषि एवं ग्राम्य विकास विकास हेतु सर्वेक्षण शोध एवं अनुसंधान कार्य करना।

30. मोबाइल हैल्थ केयर यूनिट द्वारा निर्बल गरीब,असहाय एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के स्वास्थ्य कल्याण हेतु मौके पर निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना।

31. सामुदायिक स्वास्थ्य सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार के प्रति लोगों में जागृति पैदा करना तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना

32 मलिन बस्तियों में आधुनिक शौचालयों,प्याऊ,पौशाला एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना।

33.. भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड,चैन्नई द्वारा संचालित जीव जन्तु एवं गौरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम का प्रचार प्रसार व संचालन करना एवं गौशालाओं की स्थापना व संचालन करना।

34. विकलांगों के प्रशिक्षण एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना एवं विकलांग कृत्रिम अंगों के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं का संचालन करना

35. भारतीय हस्तशिल्पों का संरक्षण विकास प्रचार तथा प्रसार करना हस्तशिल्पियों के पुर्नवास हेतु प्रशिक्षण तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना हस्तशिल्प मेलों प्रदर्शनियों तथा महोत्सवों का आयोजन करना

36 शासन द्वारा अनुमति के उपरान्त इंजीनियरिंग कालेज,अस्पताल एवं उच्च स्तर तक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर संचालित करना तथा उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था करना व मोटर ड्राइविंग आदि का प्रशिक्षण देना।

37. भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के गीत एवं नाटक प्रभाग व उ0प्र0 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के गीत एवं नाट्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न भारत सरकार व उ0प्र0सरकार की नीतियां एवं योजनाओं कार्यक्रमों का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दल के कलाकारों द्वारा प्रचार प्रसार कर जन चेतना जागृत करना।

38. भारत सरकार व उ0प्र0सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न शिक्षा स्वास्थ्य स्वच्छता बाल चित्र समिति के माध्यम से प्रचार प्रसार कर जन चेतना जागृत करना।

Burnesh
Narendra
मनिक कुमार
कान्ती देवी
आनन्द कुमार
Rajesh
हृदय नारायन
देवकी देवी
अशोक यादव

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ

5— प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के नाम,पते,पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है :—

1—	डा0विजनेश कुमार सिंह पुत्र श्री विश्राम सिंह	ग्राम हेरवल पुरवांया,हरदोई	संरक्षक	समाजसेवा
2—	श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बच्चूलाल	ग्राम व पो0 पुरवांया,हरदोई	अध्यक्ष	समाजसेवा
3—	अनिल कुमार पुत्र श्री बच्चू लाल गौतम	ग्राम व पो0 भगवन्तनगर मल्लांवा,हरदोई	उपाध्यक्ष	कृषि
4—	कान्ती देवी पुत्री स्व0शिवप्रसाद	397,अभिलाषा,एल्डिको सेकेण्ड रायबरेली रोड,लखनऊ	प्रबन्धक / सचिव	समाजसेवा
5—	आनन्द कुमार पुत्र श्री रामनरेश	ग्राम व पो0 गौसगंज,हरदोई	कोषाध्यक्ष	कृषि
6—	राजेश मौर्या पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद मौर्या	खदरा,सीतापुर रोड,लखनऊ	सदस्य	कृषि
7—	हृदयनरायन यादव पुत्र स्व0श्री रामस्वरूप यादव	कृष्ण विहार कालोनी,लखनऊ	सदस्य	कृषि
8—	देवकी देवी पुत्री श्री मखोले प्रसाद	मंशाखेड़ा कुरसठ,हरदोई	सदस्य	गृहणी
9—	अशोक कुमार यादव पुत्र श्री अजमेर सिंह यादव	एकतानगर,निकट पी0जी0आई0 लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा

Biznss
Narendra
अनिल कुमार
कान्ती देवी

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण उपरोक्त स्मृति पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजि0ऐक्ट 1860के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

दिनांकः— 7-01-06

हस्ताक्षर

1 Biznss
2 Nagendra
3 अनिल कुमार
4 कान्ती देवी
5 आनन्द कुमार
6 Raj
7 ... नरायन
8 देवकी देवी
9 अशोक यादव

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स ... लखनऊ मण्डल लखनऊ (उ०प्र०)

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
... लखनऊ
2-2-02

नियमावली

1. संस्था का नाम : कान्ती सेवा संस्थान
2. संस्था का पता : म0नं0347,अभिलाषा एल्डिको II
रायबरेली रोड,लखनऊ
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :–

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति निःस्वार्थभाव से बार मु0 1001/– रूपये नगद या उतने ही मूल्य की चल अचल सम्पत्ति प्रदान करता हो वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा आजीवन सदस्य प्रबन्धकारिणी समिति के अनुमोदन से बनाये जायेंगे।

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 100/– रूपये वार्षिक चन्दा प्रदान करता हो वह संस्था का सामान्य सदस्य होगा। सामान्य सदस्य प्रबन्धकारिणी समिति के अनुमोदन से बनाये जायेंगे।

5. सदस्यता की समाप्ति :–

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. किसी नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
4. लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
6. संस्था के प्रति हानिकर कार्य करने पर।
7. अविश्वास प्रस्ताव या त्यागपत्र पारित होने पर।

1 Bizness
2 Narendra
3 अनिल कुमार
4. कान्ती देवी

6. संस्था के अंग :

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी समिति

7. साधारण सभा :

गठन : संस्था के आजीवन तथा सामान्य सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व लिखित रूप में दी जायेगी।

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश (उ0प्र0)

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ0प्र0, लखनऊ

गणपूर्ति : साधारण सभा के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :-

साधारण सभा की वार्षिक साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. प्रबन्धकारिणी समिति की निर्वाचन करना।
2. संस्था की वार्षिक बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
3. नियमों में संशोधन परिवर्तन व परिवर्धन करना।

8. प्रबन्धकारिणी समिति :

गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें संरक्षक–1 अध्यक्ष –1, उपाध्यक्ष–1, प्रबन्धक/सचिव–1, कोषाध्यक्ष–1 तथा सदस्य–4 होगें। इस प्रकार कुल संख्या 09 होगी जो आवश्यकतानुसार बढाई–घटाई जा सकती है। न्यूनतम सदस्य संख्या 7 तथा अधिकतम 15 तक हो सकती है।

बैठकें : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति:–

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. संस्था की उन्नति हेतु आवश्यक कार्य करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
3. दान, अनुदान, चन्दा प्राप्त करना तथा प्राप्त धन बैंक में जमा करना तथा संस्था के विकास में लगाना।

4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, युवा एवं खेलकूद मंत्रालय, महिला कल्याण निगम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोद्योग बोर्ड, कपार्ट, सिडबी, नाबार्ड, अवार्ड, कृषि मंत्रालय, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सांस्कृतिक विभाग, प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक एवं बाल विकास कल्याण निदेशालय एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण,अनुदान, चन्दा प्राप्त करना तथा संस्था के उद्देश्यो की पूर्ति में लगाना।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

<u>संरक्षक</u> :–

1. स[illegible] बैठकों की संरक्षकता करना।
2. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।

<u>अध्यक्ष</u> :–

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकों के लिये दिनांकों का अनुमोदन, परिवर्तन एवं स्थगित करना।
4. संस्था के विकास हेतु पूर्ण सहयोग करना।

<u>उपाध्यक्ष</u> :–

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना।
2. संस्था के विकास में पूर्ण सहयोग करना।

<u>प्रबन्धक / सचिव</u>–:–

1. राजकीय सहायता तथा ऋण, अनुदान, चन्दा प्राप्त करना।
2 प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
3 पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
4 कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा निष्कासित करना।
5. समस्त बिल, बाऊचर, ऋण पत्र, मांगपत्र, चेक तथा अन्य आवश्यक प्रपत्रों में हस्ताक्षर करना।
6 संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा तथा उस पर नियंत्रण रखना।
7 संस्था के माध्यम से पत्र–व्यवहार करना।

1 Birju
2 Narendra
3 [illegible]

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स ... लखनऊ (उ०प्र०)

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
[illegible]

8. बैठकों की कार्यवाही लिखित रूप में देना ।
9. सदस्यों का नाम सदस्यता रजिस्टर में अंकित करना।
10. संस्था के सभी प्रबन्धकीय कार्यो की व्यवस्था करना ।
11. बैठकों की सूचना लिखित रूप में देना।

<u>कोषाध्यक्ष</u> :–

1. आय व्यय का लेखा जोखा रखना।
2. समस्त बिल,बाऊचर,चैक आदि में हस्ताक्षर करना ।
3. सदस्यों के चंदा इकट्ठा करना।
4. आय व्यय का वार्षिक लेखा वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करना एवं आडिट कराना।

10. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :–

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन करना।

11. संस्था का कोषः–

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या स्थानीय बैंक या पो0आ0 में संस्था के नाम खाता खोला जायेगा जो प्रबन्धक/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से खाते का संचालन किया जायेगा।

12. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण 'आडिट':–

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

1- Biznuss
1- Narendra
3- [illegible]

13. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तदायित्वः–

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का दायित्व प्रबन्धक/सचिव पर होगा या उसके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति पर होगा।

14. संस्था के अभिलेख :–

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. सदस्यता रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. कैशबुक, लेजर आदि।

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा ... लखनऊ (उ०प्र०)

15. संस्था के विघटन सोसाइटीज रजि0ऐक्ट 21, सन् 1860 की धारा 13 व 14 के अनुसार की जायेगी।

::सत्य प्रतिलिपि::

1.

2.

3.

4.

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
... मण्डल, ...